

झारखण्ड सरकार
खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची)

सूचना

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं० 1938 दिनांक 06.11.2006 एवं संकल्प संख्या - 350 दिनांक 25.02.2008 के आलोक में झारखण्ड राज्य के मेधावी खिलाड़ियों को वृत्तिका (छात्रवृत्ति) की राशि प्रदान करने हेतु विहित प्रपत्र

विहित प्रपत्र

**पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के अंतर्गत
खेल छात्रवृत्ति (वृत्तिका) हेतु आवेदन**

1. आवेदक/आवेदिका का नाम:(हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):-
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम:.....
3. जन्म तिथि:

--	--	--	--	--	--	--	--

 (निकटतम वर्ष):.....
दिन महिना साल
4. स्थायी पता:(आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करें):.....
.....
.....
5. वर्तमान पता:.....
.....
.....
6. मोबाईल सं० 1..... 2.....
7. बैंक का नाम/पता.....
7.1 आवेदक का बैंक एकाउन्ट संख्या
- 7.2 आई०एफ०एस०सी० कोड संख्या.....
8. आधार संख्या (स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति) -
9. श्रेणी - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति(जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. खेल का नाम:.....
(जिससे खिलाड़ी संबंधित हो)

अद्यतन्
फोटोग्राफ

10. विगत एक वर्ष की उपलब्धियाँ (मूल प्रमाण-पत्र चयन होने के पश्चात् जाँच हेतु प्रदर्शित करने होंगे):

क्र०	स्पर्धा का नाम	प्रतियोगिता की तिथि	आयोजनकर्ता का नाम एवं पता	आयोजन स्थल	पदक
1					
2					
3					
4					
5					

(आवेदन के साथ प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाए।)

11. किस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.....

.....

12. प्रशिक्षक का नाम:..... (जिनसे प्रशिक्षण/मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं)

13. विगत वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं? (यदि हाँ तो राशि का उल्लेख करें) ₹

मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सत्य हैं, गलत पाये जाने पर किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन जमा करने हेतु योग्यता/अहर्ता:-

- क) यह छात्रवृत्ति (वृत्तिका) विगत वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में खेल प्रदर्शन के आधार पर दी जायेगी।
- ख) यदि आवेदक इस अवधि में कोई अन्य छात्रवृत्ति/वृत्तिका/मानदेय प्राप्त कर रहा है या अन्य खेल योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आहार/आवास तथा अन्य सुविधायें प्राप्त कर रहा है, वह इस छात्रवृत्ति (वृत्तिका) के लिए योग्य नहीं होंगे। यदि छात्रवृत्ति (वृत्तिका) प्रदान करने वाला आवेदक पहले से ही ऐसी कोई वृत्तिका/सुविधा हासिल कर रहा है तो उसे इस छात्रवृत्ति (वृत्तिका) को प्राप्त करने के लिए पहले छात्रवृत्ति/सुविधा/वृत्तिका/मानदेय को छोड़ना होगा। चयनित खिलाड़ी मात्र अपने अध्ययन के लिए अपने विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से विद्यालयी शुल्क माफ करा सका है/छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है।
- ग) यदि प्रतियोगिता की तिथियों या समय/दूरी/उँचाई/भार/प्वाइंटस आदि की उपलब्धि का ब्यौरा प्रमाण पत्र में दिया गया है तो आवेदक उसे संबंधित संघ/संस्थान से प्राप्त कर चयन के पश्चात् निदेशालय में जमा करना होगा।
- घ) योजना के अधीन प्राप्त छात्रवृत्ति (वृत्तिका) की समायावधि एक वर्ष होगी और इसका आगामी वर्ष के लिए नवीकरण हेतु आवेदन देना होगा, वरन् आवेदन से संबंधित खेल में स्पष्ट रूप से प्रगति की है/निपुणता को बनाये रखा है। छात्रवृत्ति (वृत्तिका) के नवीकरण के लिए मात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहभागिता प्राप्त नहीं होगी।
- ङ.) छात्रवृत्ति (वृत्तिका) प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अपने छात्रवृत्ति (वृत्तिका) के नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र भर कर भेजना होगा अन्यथा उनकी छात्रवृत्ति (वृत्तिका) समाप्त कर दी जायेगी, चाहे वह इसे प्राप्त करने के योग्य हों।
- च) आवेदन पत्र के साथ आवास प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/उम्र संबंधी प्रमाण पत्र तथा बैंक एकाउंट पासबुक की छायाप्रति चयन के पश्चात् निदेशालय में जमा करना होगा।